

FORM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

मुकाम

सरकार जरीफ तहसीलदार बनाम देवा व अन्य

करम मुकदमा

नं. 48/19

सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
27.06.2019	<p>पत्रावली आज पेश हुई। भूमिधारी तहसीलदार व सभी पशकार उपस्थित। समस्त प्रतिवादीगण को दावा पत्रावली में मौजा आमला आ.नं. 663, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 717, 721, 722, 723, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 777, 784, 785, 786, 833, 834, 835, 836. कित्ता-34 रकबा 11.44 हेक्टेयर भूमि में सहायतेदारों के हिस्से की घोषणा किसे जाने के संबंध में जानकारी दी गई। सहायतेदारों द्वारा बलाभ राजरानुसार आराजी में हिस्से की घोषणा किसे जाने के संबंध में अपनी सहमती स्वकृत हस्ताक्षर किसे। अतः वाद अन्तर्गत धारा 88 RT Act एवं 136 RT Act का स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय दृश्य से लिखा जाकर व डिफ्री नंबर की जाकर शामिल पत्रावली की गई। डिफ्री की प्रति पालनाथ तहसीलदार बेगम को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल नुमांदा होकर नम्बर से कम हो।</p>	<p>पु. हु. ला. द. अ. नि. काना इ. व. ल. म. अ. नि. क. हो. उ. र. गोकुल अ. नि. थारा हु. वा. मा. उ. न. अ. नि. गो. वि. र. अ. नि. गी. त. ब. र. -अ. नि. क. हु. यी अ. नि. को. दी. ब. र. अ. नि. प्री. म.</p>

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगू जिला चितौडगढ़ (राज0)
दावा संख्या : 48 / 2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगू तहसील बेगू जिला चितौडगढ़
वादी



बनाम

1. देवा पिता बालू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
2. गोकल पिता बालू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
3. प्यारा पिता बालू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
4. नाथीबाई पत्नि स्व. देवीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
5. मोहनलाल पिता नन्दा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
6. कस्तुरीबाई पिता नन्दा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
7. चांदी बाई पिता नन्दा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
8. मांगीलाल पिता लालू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
9. रामचन्द्र पिता लालू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
10. कजोडीबाई पिता लालू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
11. सुन्दर बाई पिता लालू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
12. सोहनी बाई पिता लालू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
13. भंवरलाल पिता हेमा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
14. दुदाराम पिता हेमा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
15. प्रेमबाई पिता हेमा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
16. नानीबाई पत्नि स्व. हेमा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
17. गीता पिता हजारी बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
18. काना पिता भेरू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
19. टोडर पिता भेरू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
20. मांगी पिता भेरू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
21. प्रहलाद पिता भोला बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
22. राजी पिता भोला बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
23. बदामी पिता भोला बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
24. गोपी पिता भोला बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
25. एजन पिता भोला बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
26. गंगा पिता भोला बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
27. रमेश पिता मोहन माता नाथी बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू

प्रतिवादीगण

उपस्थित : तहसीलदार, बेगू
पैरोकार वादी

प्रतिवादीगण सं. 1से 27

निर्णय दिनांक : 27.06.2019

निर्णय वाद अ0धा0 88 आर.टी.एक्ट एवं 136 एल.आर.एक्ट

उक्त वाद पत्र सरकार की ओर से तहसीलदार बेगू द्वारा डी.आई.आई.एल.
आर.एम.पी./DILRMP के तहत हिस्से की घोषणा बाबत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया
गया जो कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश/परिपत्र/ कमांक/
बीआर/ एलआर/ एन.एल.आर.एम.पी./एफ-126 /चार्ट-2/ 10164-96 दिनांक
26.09.2017 के तहत हिस्से की घोषणा हेतु दिये निर्देशानुसार आर.टी.एक्ट 1955 की

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगू (चितौडगढ़)

धारा 88 सह एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत प्रस्तुत किया गया, जो बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया उक्त पत्रावली को कैम्प कोर्ट नंदवाई पर वास्ते सुनवाई हेतु रखाया गया, दिनांक 18.06.2019 को सभी काश्तकार उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली को आगामी पेशी 27.06.2019 को नियत की गई।

वाद पत्र में तहसीलदार बेगू द्वारा उनके पत्रांक 851 दिनांक 31.05.2019 से अवगत कराया कि ग्राम आमल्दा में खाता संख्या 82 सं. 2071-74 आराजी संख्या 663, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 717, 721, 722, 723, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 777, 784, 785, 786, 833, 834, 835, 836 किता-34 रकबा 11.44 हैक्टर देवा गोकल प्यारा वगैरा जमाबंदी अनुसार दर्ज रिकार्ड होकर उक्त खाते में हिस्से दर्ज नहीं है। अतःसरकार का कार्यक्रम DILRMP के तहत खातो के हिस्से डालकर उन्हें ऑनलाईन किया जाना आवश्यक है। सरकार के आदेश क्रमांक 10164-96 के तहत उनके हिस्से करना आवश्यक होने के कारण आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 88 सह एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत हिस्से की घोषणा बाबत अनुशंसा की गई है।

प्रतिवादीगण जरिये नोटिस तलब किया जाकर लोक अदालत कैम्प ग्राम नंदवाई पर दिनांक 27.06.2019 को रखाया गया, पत्रावली में समस्त प्रतिवादीगण उक्त तारीख पर उपस्थित आए जिन्हें कैम्प कोर्ट में सुना गया, प्रतिवादीगण उपस्थित पक्षकारो ने बताया कि मौजा आमल्दा में वादवर्णित आराजी उनकी पैतृक है। उक्त आराजी मे से खसरा नम्बर 762, 763, 764, 765, 766, 767, 833, 834, 835, 836 किता- 10 रकबा 2.99 हैक्टर श्री परसा व हरा दो भाईयो द्वारा अर्जित भूमि है जिसमें दोनो का 1/2-1/2 हिस्सा बनता है तथा आगे विरासत से वारिसान के नाम इसी अनुरूप हिस्से बनेगें। शेष आराजी 663, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 717, 721, 722, 723, 777, 784, 785, 786 किता 24 रकबा 8.45 हैक्टर जिसे अस्वार कुआ कहा जाता है उसे रामा कालू पिता परसा व बरदा पिता हरा द्वारा हिस्सा बराबर से निर्माण /अर्जन किया गया , इनमें रामा 1/3 कालु 1/3 बरदा 1/3 हिस्से बनते है तथा इसी हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। पैमाइश 2028 में उक्त दोनो खातो में खातेदार समान होने से शामिल कर दिया है। परन्तु दोनो जगह हक हिस्सा अलग अलग है। अतः माल की भूमि किता- 10 रकबा 2.99 में परसा 1/2 हरा 1/2 अनुसार व अस्वार कुआ किता- 24 रकबा 8.45 हैक्टर में रामा 1/3 कालु 1/3 बरदा 1/3 अनुसार इनके वारिसानों के नाम हिस्से दर्ज किये जावे तो सभी खातेदार सहमति है। रेकार्ड के अवलोकन से उक्त खाता सेटलमेन्ट जमाबंद खाता संख्या 28 पर गोपाल बालू घासी पिता रामा हि.ब. नन्दा लालु हजारी पिता कालू


सहायक कलेक्टर
(उपग्रह अधिकारी)
बेगू (विशालगढ़)

हि.ब. भैरू भोला पिता बरदा हि.ब. बलाई सा0देह के नाम दर्ज है। आगे नामान्तरण कार्यवाहियां विरासत संबंधी से खाता वर्तमान दर्ज हुआ है। कोर्ट कैम्प मजमें आम में जानकारी की गई जिसमें यह जाहिर हुआ कि प्रतिवादीगण द्वारा बताये अनुसार माल भूमि ग्राम आमल्दा आराजी नं. 762, 763, 764, 765, 766, 767, 833, 834, 835, 836 किता- 10 रकबा 2.99 हैक्टर मे इनके पूर्वज परसाका 1/2 व बरदा 1/2 हिस्सा बनता है, शेष आ.नं. 663, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 717, 721, 722, 723, 777, 784, 785, 786 किता 24 रकबा 8.45 हैक्टर में रामा 1/3 कालु 1/3 पिता परसा व बरदा पिता हरा 1/3 हिस्सा होकर इनके वारिसान इसी हक हिस्से से काबिज है। अतः प्रतिवादीगण की सहमति व मजमें आम में जानकारी अनुसार ग्राम आमल्दा में वाद वर्णित आराजी में निम्नानुसार हिस्से की घोषणा किया जाना उचित है:- 663, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 717, 721, 722, 723, 777, 784, 785, 786 किता 24 रकबा 8.45 हैक्टर में 1/3-1/3-1/3 अनुसार श्री देवा गोकल प्यारा पिता बालु हि. ब. 1/3, नाथीबाई पत्नि स्व. देवीलाल 1/36 मोहनलाल 1/36 कस्तुरीबाई 1/36, चांदीबाई 1/36 पिता नंदा, मांगीलाल रामचंद्र कजोडीबाई सुन्दरबाई सोहनीबाईपिता लालु हि.ब. 1/9, भंवरलाल दूदाराम प्रेमबाई पिता हेमा नानीबाई पत्नि स्व. हेमा हि.ब. 1/18 गीता पिता हजारी 1/18 काना टोडर मांगी पिता भैरू हि.ब. 1/6 प्रहलाद पिता भोला, राजी बदामी गोपी एजन गंगा पिता भोला रमेश पिता मोहन (माता नाथी) हि.ब. 1/6 बलाई सा.देह खातेदार रहन बदस्तुर जमाबंदी रहेगा। इसी प्रकार ग्राम आमल्दा की आराजी नं0 762, 763, 764, 765, 766, 767, 833, 834, 835, 836 किता- 10 रकबा 2.99 हैक्टर भूमि में 1/2-1/2 अनुसार श्री देवा गोकल प्यारा पिता बालु हि.ब. 1/4 नाथीबाई पत्नि स्व. देवीलाल 1/48 मोहनलाल 1/48 कस्तुरीबाई 1/48 चांदीबाई 1/48 पिता नंदा, मांगीलाल रामचन्द्र कजोडीबाई सुन्दरबाई सोहनीबाई पिता लालु हि.ब. 1/12 भंवरलाल दूदाराम प्रेमबाई पिता हेमा नानीबाई पत्नि स्व.हेमा हि.ब. 1/24, गीता पिता हजारी 1/24, काना टोडर मांगी पिता भैरू हि.ब. 1/4 प्रहलाद पिता भोला, राजी बदामी गोपी एजन गंगा पिता भोला, रमेश पिता मोहन (माता नाथी) हि.ब. 1/4 बलाई सा0देह खातेदार रहन बदस्तुर रखे जाने की घोषणा किये जाने हेतु हमारे द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत समस्त रिकोर्ड का अवलोकन किया गया,साथ ही राज्य सरकार के निर्देश DILRMP के तहत सहखातेदारान के संयुक्त खातो मे दर्ज हिस्सो को अलग अलग घोषित किया जाने के निर्देश होने एवं वाद वर्णित आराजीयात में सेटलमेन्ट के समय से ही वर्णित आराजीयात का खाता संयुक्त ही दर्ज राजस्व रिकोर्ड होने से सहखातेदारान के हिस्से अलग अलग दर्ज किये जाने की घोषणा किया जाना हम उचित समझते है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूसराय (विशेषीयुक्त)

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0काश्त0अधि0 एवं धारा 136 एल. आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, मौजा आमल्दा की आराजी संख्या 663, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 717, 721, 722, 723, 777, 784, 785, 786 किता 24 रकबा 8.45 हैक्टर में 1/3=1/3-1/3 अनुसार श्री देवा गोकल प्यारा पिता बालु हि.ब. 1/3, नाथीबाई पत्नि स्व. देवीलाल 1/36 मोहनलाल 1/36 कस्तुरीबाई 1/36, चांदीबाई 1/36 पिता नंदा , मांगीलाल रामचंद्र कजोडीबाई सुन्दरबाई सोहनीबाई पिता लालु हि.ब. 1/9, भंवरलाल दूदाराम प्रेमबाई पिता हेमा नानीबाई पत्नि स्व. हेमा हि.ब. 1/18 गीता पिता हजारी 1/18 काना टोडर मांगी पिता भेरू हि.ब.1/6 प्रहलाद पिता भोला, राजी बदामी गोपी एजन गंगा पिता भोला रमेश पिता मोहन (माता नाथी) हि.ब. 1/6 बलाई सा.देह खातेदार रहन बदस्तुर जमाबंदी रहेगा। इसी प्रकार ग्राम आमल्दा की आराजी नं0 762, 763, 764, 765, 766, 767, 833, 834, 835, 836 किता- 10 रकबा 2.99 हैक्टर भूमि में 1/2-1/2 अनुसार श्री देवा गोकल प्यारा पिता बालु हि.ब. 1/4 नाथीबाई पत्नि स्व. देवीलाल 1/48 मोहनलाल 1/48 कस्तुरीबाई 1/48 चांदीबाई 1/48 पिता नंदा, मांगीलाल रामचन्द्र कजोडीबाई सुन्दरबाई सोहनीबाई पिता लालु हि.ब. 1/12 भंवरलाल दूदाराम प्रेमबाई पिता हेमा नानीबाई पत्नि स्व.हेमा हि.ब.1/24, गीता पिता हजारी 1/24, काना टोडर मांगी पिता भेरू हि.ब. 1/4 प्रहलाद पिता भोला, राजी बदामी गोपी एजन गंगा पिता भोला, रमेश पिता मोहन (माता नाथी) हि.ब. 1/4 बलाई सा0देह खातेदार रहन बदस्तुर रखे जाने की घोषणा की जाती है। उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए । उक्त निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगू को भिजवाई जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2019 को कोर्ट कैम्प नंदवाई पर लिखाया जाकर सुनाया गया।


 25/6/19
 (रमेश सिंह पुताडिया)
 सहायक (कलेक्टर (संप्रसाध) अधिकारी)
 बेगू (पिला) सिताड़ा

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगू जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
दावा संख्या : 48/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगू तहसील बेगू जिला चित्तौडगढ़
वादी

बनाम

1. देवा पिता बालू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
 2. गोकल पिता बालू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
 3. प्यारा पिता बालू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
 4. नाथीबाई पत्नि स्व. देवीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
 5. मोहनलाल पिता नन्दा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
 6. कस्तुरीबाई पिता नन्दा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
 7. चांदी बाई पिता नन्दा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
 8. मांगीलाल पिता लालू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
 9. रामचन्द्र पिता लालू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
 10. कजोडीबाई पिता लालू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
 11. सुन्दर बाई पिता लालू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
 12. सोहनी बाई पिता लालू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
 13. भंवरलाल पिता हेमा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
 14. दुदाराम पिता हेमा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
 15. प्रेमबाई पिता हेमा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
 16. नानीबाई पत्नि स्व. हेमा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
 17. गीता पिता हजारी बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
 18. काना पिता भेरू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
 19. टोडर पिता भेरू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
 20. मांगी पिता भेरू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
 21. प्रहलाद पिता भोला बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
 22. राजी पिता भोला बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
 23. बदामी पिता भोला बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
 24. गोपी पिता भोला बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
 25. एजन पिता भोला बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
 26. गंगा पिता भोला बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
 27. रमेश पिता मोहन माता नाथी बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
- प्रतिवादीगण




वादी की ओर से पैरोकार तहसीलदार श्री दाना राम की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण समस्त की उपस्थिति में इस वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट एवं 136 एल. आर.एक्ट में आज दिनांक 27.06.2019 को पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगू के समक्ष कोर्ट कैम्प नंदवाई पर अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है :

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0काश्त0अधि0 एवं धारा 136 एल.आर. एक्ट का स्वीकार किया जाता है, मौजा आमल्दा की आराजी संख्या 663, 697, 698

उपखण्ड अधिकारी
बेगू (चित्तौडगढ़)

699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 717, 721, 722, 723, 777, 784, 785, 786 किता 24 रकबा 8.45 हैक्टर में 1/3-1/3-1/3 अनुसार श्री देवा गोकल प्यारा पिता बालु हि.ब. 1/3, नाथीबाई पत्नि स्व. देवीलाल 1/36 मोहनलाल 1/36 कस्तुरीबाई 1/36, चांदीबाई 1/36 पिता नंदा, मांगीलाल रामचंद्र कजोडीबाई सुन्दरबाई सोहनीबाई पिता लालु हि.ब. 1/9, भंवरलाल दूदाराम प्रेमबाई पिता हेमा नानीबाई पत्नि स्व. हेमा हि.ब. 1/18 गीता पिता हजारी 1/18 काना टोडर मांगी पिता भैरु हि.ब. 1/6 प्रहलाद पिता भोला, राजी बदामी गोपी एजन गंगा पिता भोला रमेश पिता मोहन (माता नाथी) हि.ब. 1/6 बलाई सा.देह खातेदार रहन बदस्तुर जमाबंदी रहेगा। इसी प्रकार ग्राम आमल्दा की आराजी नं0 762, 763, 764, 765, 766, 767, 833, 834, 835, 836 किता- 10 रकबा 2.99 हैक्टर भूमि में 1/2-1/2 अनुसार श्री देवा गोकल प्यारा पिता बालु हि.ब. 1/4 नाथीबाई पत्नि स्व. देवीलाल 1/48 मोहनलाल 1/48 कस्तुरीबाई 1/48 चांदीबाई 1/48 पिता नंदा, मांगीलाल रामचन्द्र कजोडीबाई सुन्दरबाई सोहनीबाई पिता लालु हि.ब. 1/12 भंवरलाल दूदाराम प्रेमबाई पिता हेमा नानीबाई पत्नि स्व. हेमा हि.ब. 1/24, गीता पिता हजारी 1/24, काना टोडर मांगी पिता भैरु हि.ब. 1/4 प्रहलाद पिता भोला, राजी बदामी गोपी एजन गंगा पिता भोला, रमेश पिता मोहन (माता नाथी) हि.ब. 1/4 बलाई सा0 देह खातेदार रहन बदस्तुर रखे जाने की घोषणा की जाती है। उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए। उक्त निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगू को भिजवाई जाती है।

अंतिम डिक्री आज दिनांक 27.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई है।


 27/6/19
 (रमेश सीरवी पुनाडिया)
 सहायक कलेक्टर (सुपरवाइजिंग अधिकारी)
 बेगू जिला, बिहार

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगू को पालनार्थ प्रस्तुत है।